

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)
सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर के पूर्वी व पश्चिमी प्रांगण में समस्त दुकानों तथा वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जूड़ि)। मुहम्मदावाद, गाजीपुर में स्थित नियमानुसार दिनांक 17.03.2025 को उपरान्ह 04.30 बजे मुख्यालय स्थित दस कक्षीय न्यायालय भवन के मुख्य सभागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें निम्नवत हैं :—

- 1— सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली रखीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2— बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रु 5,000/- की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक—पृथक जमा करनी होगी।
- 3— सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवरथा स्वयं करनी होगी।
- 4— प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस-पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियों ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियों से बचाने हेतु खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- 5— जनपद न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खाद्य सामग्रियों उचित मूल्य पर देना होगा, जिसकी दरे प्रभारी अधिकारी, नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 6— प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जाँच कर सकते हैं। संवंधित दुकानों की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 7— नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।
- 8— जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नहीं की गयी है, से वित्तीय वर्ष 2025–26 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मुख्यालय स्थित नीलामी हेतु दुकानों का विवरण

क्र०सं०	दुकानों का विवरण	न्यूनतम नियत सरकारी बोली
1	पश्चिमी प्रांगण में स्थित चाय, नमकीन व मीठा की दुकान न० 1 (गेट नं० 12) के सामने	1,70,200.00
2	पश्चिमी प्रांगण में स्थित चाय, नमकीन व मीठा की दुकान न० 2 (गेट नं० 12) के सामने	1,83,700.00
3	मध्य प्रांगण में गेट नं० 04 के सामने कुए के पास स्थित चाय, नमकीन एवं मिठाई की दुकान	50,100.00
4	पश्चिमी प्रांगण में स्थित पान की दुकान (गेट नं० 12) के बगल में	37,100.00
5	पूर्वी प्रांगण में स्थित पान की दुकान (गेट नं० 04) के बगल में	55,000.00

गांधी रिष्ट न्यायालय शिविर जाज (जू०खि०), गुरुगांवाबाद, गाजीपुर रिष्ट नीलामी हेतु तुकानों का विवरण

क्रमांक	तुकानों का विवरण	न्यूनतम नियत राखकारी बौली
1	पान ची तुकान	67,000.00
2	चार, भीठा एवं नागवीन ची तुकान	79,500.00
3	फोटो रहेट ची तुकान	2,30,700.00

दिनांक-मार्च / १५ / २०२५

(शक्ति सिंह-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० ०१,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

- गाननीय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- नोडल आफिसर, कार्पूटर अनुशासन, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे गाननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश सं० ५६२/उन्रीस-२-२००७-१००७/७४ (टी०सी०) दिनांकित ०४ जूलाई, २००७ लाखनऊ के आलोक में सरकारी हित में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु इसका प्रकाशन अधिक से अधिक दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों को सूचना पट्टो पर चर्चा किये जाने हेतु।

- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, सदर, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, मु०बाद, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, मु०बाद, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय मु०बाद, गाजीपुर।
- नोटिस बोर्ड, नजारत, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।
- सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को १० प्रतियो में सार्वजनिक स्थान पर चर्चा करने हेतु।
- सम्पादक, तरुण मित्र, हिन्दी दैनिक, जौनपुर।

(शक्ति सिंह-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० ०१,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर

दिनांक-मार्च / १५ / २०२५